"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2017—आश्विन 28, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फकीर चंद्र अग्रवाल स्व. तेजराम अग्रवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी- म. नं.-214, सफायर ग्रीन विधान सभा रोड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा लघु नाम एफ. सी. सिंघल आ. स्व. तेजराम अग्रवाल तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम एफ. सी. अग्रवाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम फकीर चंद्र अग्रवाल रख लिया हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक आदि अन्य शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे फकीर चंद्र अग्रवाल आ. स्व. तेजराम अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
एफ. सी. सिंघल एफ. सी. अग्रवाल पिता-स्व. तेजराम अग्रवाल निवासी-म. नं.-214, सफायर ग्रीन, विधान सभा रोड, रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)	फकीर चंद्र अग्रवाल पिता-स्व. तेजराम अग्रवाल निवासी-म. नं.-214, सफायर ग्रीन, विधान सभा रोड, रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुमित्रा बाई लोधी ध. प. श्री प्रेमलाल लोधी, उम्र 50 वर्ष, वर्तमान निवासी-म. नं. श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर, वार्ड नं.-8, कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तह. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री प्रेमलाल लोधी भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा अपूर्ण नाम श्रीमती सुमित्रा बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती सुमित्रा बाई लोधी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुमित्रा बाई लोधी ध. प. श्री प्रेमलाल लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती सुमित्रा बाई पति-श्री प्रेमलाल लोधी निवासी-वर्तमान पता-म. नं. श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर, वार्ड नं.-8, कोहका भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम-हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सुमित्रा बाई लोधी पति-श्री प्रेमलाल लोधी निवासी-वर्तमान पता-म. नं. श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर, वार्ड नं.-8, कोहका भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम-हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुशीला ड्रोलिया ध. प. श्री दिलीप ड्रोलिया, निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकर नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुशीला देवी ड्रोलिया था तथा मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता था. यही नाम मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती सुशीला ड्रोलिया रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुशीला ड्रोलिया ध. प. श्री दिलीप ड्रोलिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती सुशीला देवी ड्रोलिया पति-श्री दिलीप ड्रोलिया निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकर नगर रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती सुशीला ड्रोलिया पति-श्री दिलीप ड्रोलिया निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकर नगर रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बेदराम सिन्हा आत्मज श्री बिंझवार सिन्हा, उम्र 66 वर्ष निवासी-वार्ड नं.-18, ग्राम-थनौद अंजोरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम बेदराम सिन्हा दर्ज है. मैं बी. के. इंजिनियरिंग कार्पोरेशन भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में व पी. एफ. खाता, बैंक पासबुक में मेरा नाम वेदनाथ सिन्हा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम बेदराम सिन्हा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे बेदराम सिन्हा आ. श्री बिंझवार सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वेदनाथ सिन्हा पिता-श्री बिंझवार सिन्हा निवासी-वार्ड नं.-18, ग्राम-थनौद, अंजोरा, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	बेदराम सिन्हा पिता-श्री बिंझवार सिन्हा निवासी-वार्ड नं.-18, ग्राम-थनौद, अंजोरा, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मागरेट अमरा सत्संगी (Magreat Amra Satsangi) ध. प. श्री शिवनारायण सत्संगी उम्र 54 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-14 सी, सड़क नं.-4, सेक्टर-10, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, और मतदाता परिचय पत्र में मेरा सही व पूर्ण नाम मागरेट अमरा सत्संगी दर्ज है किन्तु मेरे मकान की रजिस्ट्री में मेरा घरेलू नाम राधा सत्संगी दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम मागरेट अमरा सत्संगी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे मागरेट अमरा सत्संगी ध. प. श्री शिवनारायण सत्संगी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राधा सत्संगी (Radha Satsangi) पति-श्री शिवनारायण सत्संगी निवासी-क्वा. नं.-14 सी, सड़क नं.-4, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मागरेट अमरा सत्संगी (Magreat Amra Satsangi) पति-श्री शिवनारायण सत्संगी निवासी-क्वा. नं.-14 सी, सड़क नं.-4, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मृत्युंजय देवांगन आत्मज श्री आनंद कुमार देवांगन, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1 बी, सड़क नं.-15 ए, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम मृत्युंजय देवांगन दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम मृत्युंजय दर्ज है जो कि अपूर्ण है तथा यही नाम मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम मृत्युंजय देवांगन रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मृत्युंजय देवांगन आ. श्री आनंद कुमार देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मृत्युंजय पिता-श्री आनंद कुमार देवांगन निवासी-क्वा. नं.-1 बी, सड़क नं.-15 ए, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मृत्युंजय देवांगन पिता-श्री आनंद कुमार देवांगन निवासी-क्वा. नं.-1 बी, सड़क नं.-15 ए, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधेश्याम शर्मा आत्मज श्री प्रभातीलाल शर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-लिंक रोड, कैंप-1 भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों मे मेरा सही नाम राधेश्याम शर्मा दर्ज है, किन्तु मेरे बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राधेश्याम खण्डेलवाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम राधेश्याम शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राधेश्याम शर्मा आ. श्री प्रभातीलाल शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राधेश्याम खण्डेलवाल पिता-श्री प्रभातीलाल खण्डेलवाल निवासी-लिंक रोड, कैंप-1 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राधेश्याम शर्मा पिता-श्री प्रभातीलाल खण्डेलवाल निवासी-लिंक रोड, कैंप-1 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गणेश राम आत्मज स्व. राम सुरज राम उम्र 61 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-बी-9/4, एन. एस. पी. सी. एल., टाउनशीप, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में, सर्विस रिकार्ड आदि में मेरा वास्तविक नाम गणेश राम दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे पुत्र मुकेश कुमार के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस व उसके सर्विस रिकार्ड जो कि एन. एस. पी. सी. एल. भिलाई में कार्यरत है, में मेरा नाम गणेश प्रसाद दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम /उपनाम को परिवर्तित कर सही नाम गणेश राम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को मुकेश कुमार आ. गणेश राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गणेश प्रसाद
पिता-स्व. राम सुरज राम
निवासी-क्वा. नं.-बी-9/4,
एन. एस. पी. सी. एल., टाउनशीप,
रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गणेश राम
पिता-स्व. राम सुरज राम
निवासी-क्वा. नं.-बी-9/4,
एन. एस. पी. सी. एल., टाउनशीप,
रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राजेश्वरी राठौर, ध. प. श्री लाकेश्वर कुमार राठौर उम्र 36 वर्ष, निवासी-ग्राम-सिवनी तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं रेल विभाग चाम्पा में कार्यरत हूं मेरा सही नाम श्रीमती राजेश्वरी राठौर है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती राजेश्वरी लाकेश्वर कुमार राठौर दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम श्रीमती राजेश्वरी राठौर रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती राजेश्वरी राठौर ध. प. श्री लाकेश्वर कुमार राठौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती राजेश्वरी लाकेश्वर राठौर
पति-श्री लाकेश्वर कुमार राठौर
निवासी-ग्राम- सिवनी
तहसील-जांजगीर,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती राजेश्वरी राठौर
पति-श्री लाकेश्वर कुमार राठौर
निवासी-ग्राम- सिवनी
तहसील-जांजगीर,
जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2185.—कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्या. तखतपुर पं. क्र. 181 दिनांक 13-12-2004 विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1555 दिनांक 26-07-2008 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/1745 दिनांक 25-05-2016 के द्वारा श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक (सह. वि. अधि. तखतपुर), को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्या. तखतपुर पं. क्र.181 दिनांक 13-12-2004 विकास खण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2186.— महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पेण्डारी , पं. क्र. 182 दिनांक 17-12-2004 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1637 दिनांक 01-12-2006 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/1745 दिनांक 25-05-2016 के द्वारा श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक (सह. वि. अधि. तखतपुर) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पेण्डारी , पं. क्र. 182 दिनांक 17-12-2004 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्रमांक/क्यु/2017/परिसमापन/01.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हों तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदारी होंगे.

क्र.	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	समाजिक उत्थान अनु. जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. चकरबेढ़ा 4	3903	आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कक्ष क्र. 14 प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलाासपुर (छ. ग.)

आर. सी. ध्रुव,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.